

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या 8842/2022/एस0एफ0सी0एम0 सैल, इलाहाबाद दिनांकित 22.07.2022 के अनुपालन में परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में रिक्त दो पदों पर परामर्शदाता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश शासन को अग्रसारित किये जाने हैं, जिसके सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 102/सात-न्याय-2-2015-728/86 न्याय अनुभाग-2 अधीनस्थ न्यायालय, लखनऊ दिनांकित 18.06.2015 के द्वारा निम्न अर्हता प्राप्त व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं-


1. आवेदक समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में से स्नातक की डिग्री रखता हो और समाज सेवा का अनुभवी हो, जो आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हो और पारिवारिक काउन्सिलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखता हो उसे वरीयता दी जायेगी।
2. आवेदक की आयु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक को 35 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य हो।
3. परामर्शदाता का कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष का होगा।
4. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
5. नियुक्ति परामर्शदाता को शासनादेश के अनुसार नियत रु. 375/- प्रति कार्य दिवस अथवा रु 10,000/- प्रतिमाह जो भी कम हो, का मानदेय देय होगा।

जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हो वे अपना आवेदन पत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित दिनांक 05.08.2022 तक कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रेषित कर सकते हैं।

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी (नजारत), जनपद न्यायालय, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित की वह उक्त आदेश की प्रति न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर, बार एसोसिएशन जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
2. जिला सूचना अधिकारी, गाजियाबाद को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
3. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय, गाजियाबाद को इस आशय से प्रेषित हो कि वे उक्त आदेश की प्रतिलिपि को जनपद न्यायालय, गाजियाबाद व माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।


(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, गाजियाबाद।
*Principal Judge Family Court
Ghaziabad*

परिवार न्यायालय, गाजियाबाद में परामर्शदाता पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप।

स्वप्रमाणित पासपोर्ट
साईज फोटो
चिपकाएं।

1. पद का नाम
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
3. पिता/पति का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी में).....
4. स्थायी आवासीय पता
5. पत्राचार हेतु पता
6. जन्मतिथि
7. दिनांक 01.08.2022 को अभ्यर्थी की आयु वर्ष माह दिन
(जन्मतिथि के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण—पत्र की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करें।)
8. शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण परीक्षाओं का उल्लेख करें और प्रमाण पत्रों तथा अंक तालिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

शैक्षिक योग्यता का विवरण—

क्रम सं०	परीक्षा/डिग्री	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	टिप्पणी

9. क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद लग्भित है अथवा उसे किसी आपराधिक वाद में दण्डित किया गया है। (यदि है तो उसका उल्लेख करें।).....

नोट— यह आवेदन पत्र में अंकित किया जाना आवश्यक है।

10. अनुभव यदि कोई है तो

घोषणा पत्र

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण/सूचनाएं सत्य हैं और मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छिपाया गया है। यदि कोई विवरण सूचना असत्य अथवा गलत पायी जाती है या कोई तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। यदि नियुक्ति हो जाने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी नियुक्ति समाप्त कर दी जाये।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक—

संलग्नकों की संख्या—